

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
एकलव्य परिसर
अगरतला

कार्यालय आदेश-152

दिनांक: 01.11.2025

विषय: परिसर में प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में।

समस्त सङ्काय सदस्यों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों एवं छात्रों – छात्राओं को सूचित किया जाता है परिसर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से एकलव्य परिसर में एकल-उपयोग (Single Use) प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सभी से अनुरोध है कि परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कप, बोतल, थैला, प्लेट, चमच, ग्लास तथा स्ट्रॉ/कुरकुरे/चिप्स/स्नैक्स आदि के पैकेट तथा अन्य प्लास्टिक रैपर का उपयोग वर्जित है।

अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इस आदेश का पालन कर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें।


01/11/2025
(प्रो. मखलेश कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि -

01. समस्त सङ्काय सदस्य, के. सं. वि., एकलव्य परिसर, अगरतला।
02. समस्त गैर-शैक्षणिक कर्मचारीगण, के. सं. वि., एकलव्य परिसर, अगरतला।
03. समस्त छात्र-छात्राएं, के. सं. वि., एकलव्य परिसर, अगरतला।
04. श्री दीपेन्द्र मिश्र, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
05. कार्यालय प्रति।
06. कार्यालय आदेश संचिका।
07. सभी सुरक्षा कर्मी, परिसर में प्लास्टिक वस्तुओं/पैकेटों के उपयोग की नियमित जांच करने हेतु।
08. परिसर कैटीन, प्लास्टिक वस्तुओं, बोतलों एवं कुरकुरे/चिप्स जैसे पैकेटों का उपयोग व विक्रय पूर्णतः बंद करने हेतु।


01/11/2025
(प्रो. मखलेश कुमार)
निदेशक